मुख्य अभियंता–1 (पटना) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक– मु0अ0–1 / प्रा0–04–148 / 2025 1042-अनु0 पटना, दिनांक– 21/6/25

प्रेषक,

ई0 राम मनोहर ठाकुर,
मुख्य अभियंता 1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, आरा।

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष MMGSY-(Awsesh) अन्तर्गत स्वीकृत कुल 14 (चौदह) अदद योजनाओ का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय रख–रखाव कार्य के प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध मे।

प्रसंगः–आपका पत्रांक 545 अनु0 दिनांक 18.06.2025

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 14 (चौदह) अदद पथों के प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर प्राक्कलन लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' मे अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 मे अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नही होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध मे समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नही समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, आरा ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर मे नही है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जॉच आप स्वयं कर सूचित करेगे कियह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ के कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्राक्कलन करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर के अधीन शीर्ष MMGSY- (Awsesh) योजनान्तर्गत प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओ की सूची:-

क्र0 स0	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0 में)	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण	प्रशासनिक स्वीकृति अनुमोदन की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, प्रशासनिक एवं आकस्मिक कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block-Chausa, Nikrish To Lodhi Dera	2.000	Letter N0-1166 Date-03.06.2025	249.985	246.853
2	Block-Chausa, Pithari Harijan Tola To Saraon	1.000	Letter N0-1164 Date-03.06.2025	123.905	123.688
3	Block-Chausa, Primary School RAsulpur To Nagpur PMGSY Road	2.050	Letter N0-1166 Date-03.06.2025	238.573	238.00
4	Block-Buxar, Veer Kuwar Singh Path To Kauria Dih Shiv Mandir Tak	0.900	Letter N0-1164 Date-03.06.2025	110.799	110.958
5	Block-Buxar, RWD Road To Jagdishpur	1.555	Letter N0-1164 Date-03.06.2025	187.207	185.273
6	Block-Buxar, RWD Road To Tejan Rai Land To Merwa Village	0.650	Letter N0-1166 Date-03.06.2025	121.919	80.681
7	Block-Simri, Asha Parari Niayzipur Bandh Road To Dullahpur Dalit Basti	1.050	Letter N0-1166 Date-03.06.2025	194.401	125.231
8	Block-Chausa, Buxar Mohaniya Via Rohanibhan To Saiyarghat Manjhi Tola	1.450	Letter N0-1164 Date-03.06.2025	171.736	171.655
9	Block-Rajpur, Dhansoi Dinara PWD Road To Mohaniya Rambacha Yadav Tola	1.670	Letter N0-1166 Date-03.06.2025	247.653	247.334
10	Block-Rajpur, State Highway Jalhara To Kushwaha Tola Girls Middle School	2.150	Letter N0-1166 Date-03.06.2025	238.573	283.129
11	Block-Rajpur, Basahi Yadav Tola To Darmagatpur	1.050	Letter N0-1164 Date-03.06.2025	136.627	136.213
12	Block-Simri, Diya Arak Road To Diyaman Gosai Tola	0.700	Letter N0-1164 Date-03.06.2025	141.786	97.032

T.S No. 305
21.6.25

13	Block-Rajpur, Basahi Sikthi To Jamuni Dehara Path	1.080	Letter N0-1166 Date-03.06.2025	142.177	141.765
14	Block-Simri, Simri Tilak Rai Ke Hata To Yadav Tola	1.200	Letter N0-1166 Date-03.06.2025	212.467	135.846

अनु0–स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
21/06/25
मुख्य अभियता–1 (पटना).
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।
प्रशासनिक स्वीकृति:– परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

विवरणी

1. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 मे अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप मे पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति मे अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हो तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार–प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन मे प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी–
   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेगें।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट मे जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी सपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेगें कि यह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य मे पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन मे Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, ततपश्यात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ मे वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन मे विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीर्ष MMGSY- (Awsesh) योजना की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध मे समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकुल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

[illegible]-17
[illegible]-28
[illegible]

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो ले की एच0एफ0एल0 बाढ स्तर के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यो का दर अनुसुचित दर पुस्तिका मे नही है उस स्थिति मे केंद्रीय पदाधिकारीयों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदो के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेगे और समिति की अगली बैठक मे उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेगे।
24. पूर्व मे कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा मे प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण मे प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।
27. प्राक्कलन मे प्रयुक्त प्रावैधिक आँकडो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमे भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगे कि इस कार्य मे अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नही कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।
29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन मे किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।
30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर ले कि निर्माण सामग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की दुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से ही देय होगी।
31. सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सडक मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनो स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमे से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेगे।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 21/8/15

मुख्य अभियंता–1 (पटना),
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।